न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), सन्त कबीर नगर।

उपस्थितः कृष्ण कुमार–V, (उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code-UP 6390)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–0741/2018

UPSK010037682018

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना–खलीलाबाद, जनपद–सन्त कबीर नगर।
.... अभियोजन

बनाम

1. नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सीताराम, निवासी ग्राम–बरडाड़, थाना–बखिरा, जनपद–सन्त कबीर नगर। .... अभियुक्त

मु0अ0संख्या–1143/2018
धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–3/4
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
थाना–कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–संतकबीर नगर।

1. राज्य द्वारा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल सिंह।
2. अभियुक्त द्वारा, विद्वान अधिवक्ता श्री राम अवतार यादव।

निर्णय

1. अभियुक्त **नागेन्द्र विश्वकर्मा** पर धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय 2012 के तहत आरोप है कि दिनांक–22.09.2018 को समय लगभग 06:00 बजे सायं बहद ग्राम–धमरजा, पोस्ट–उमरी कला, थाना–खलीलाबाद, जिला–सन्त कबीर नगर में अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा श्रीमती माधुरी देवी की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला–फुसलाकर अवैध संभोग/विवाह करने के आशय से उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण/व्यपहरण किये तथा पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

2. वर्तमान प्रकरण में अप्राप्तवय बालिका/फरियादिया को अधिनियम की धारा–33(7) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधित प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतो में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप बालक की पहचान प्रकट न किये जाने के दृष्टिगत निर्णय की अग्रिम चरणों में **''पीड़िता''** लेखबद्ध किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा माधुरी देवी पत्नी शैलेन्द्र ग्राम–धमरजा पो0–उमरी कला, थाना–कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–सन्त कबीर नगर द्वारा दिनांक–04.10.2018 को प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–सन्त कबीर नगर को इस आशय की तहरीर दिया गया कि–'' दिनांक 22.09.2018 की शाम लगभग 06 बजे मुल्जिमान हमारी नाबालिग पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 16 वर्ष, जो कि घरेलू सामान की खरीदारी के लिये घर से बाहर गयी थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद, घर वापस नहीं आयी तो हम परिजन अपनी लड़की की खोज बीन करने लगे। काफी खोजबीन के बाद यह पता चला कि नागेन्द्र पुत्र सीताराम विश्वकर्मा निवासी ग्रा0 बरडाड पिपरी थाना–बखिरा, जिला–सन्त कबीर नगर के निवासी हमारी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। हमारी पुत्री को भगाने में शम्भूनाथ विश्वकर्मा पुत्र राजदेव निवासी निखरकपार थाना–कोतवाली खलीलाबाद, जिला–सन्त कबीर नगर का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। अतः निवेदन है कि हमारी रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाय। वादिनी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–सन्त कबीर नगर में अभियुक्तगण नागेन्द्र विश्वकर्मा व शम्भूनाथ विश्वकर्मा के विरूद्ध मु0अ0संख्या–1143/2018, धारा–363, 366 भा0द0सं0 व 16/17 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा के विरूद्ध धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप–पत्र दिनांकित–03.12.2018 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. दिनांक–30.01.2019 को तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी के आदेश पर अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा के विरूद्ध धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्त ने अपराध किये जाने से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिये वादिनी मुकदमा माधुरी देवी पी0डब्लू0–01, शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पी0डब्लू0–02, पीड़िता पी0डब्लू0–03, डा0 निधि गुप्ता पी0डब्लू0–4, हे0का0 पूर्णमासी पी0डब्लू0–5, उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह यादव पी0डब्लू0–6 व प्रधानाध्यापक इन्द्रकान्त चौधरी को पी0डब्लू0–7 के रूप में सशपथ परीक्षित कराया गया है।

7. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 दिनांक–24.03.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत होने, अभियोजन साक्षीगण द्वारा गलत बयान देने, गलत प्रपत्र तैयार करने, रंजिशन मुकदमा चलाये जाने, स्वयं को निर्दोष होने तथा सफाई में साक्ष्य दिये जाने से इन्कार किया है।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए तहरीर वादिनी मुकदमा प्रदर्श क–1, पीड़िता का बयान धारा–164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–2, पीड़िता का

चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–3, पूरक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–4, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–5, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6, नक्शा–नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–7, नक्शा–नजरी बरामदगी पीड़िता प्रदर्श क–8, आरोप–पत्र प्रदर्श क–9, SR रजिस्टर प्रदर्श क–10 व पीड़िता का जन्म प्रमाण–पत्र प्रदर्श क–11 प्रस्तुत किया गया है।

<u>मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का विवरण:</u>

9. पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा (माधुरी देवी) ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–'' घटना पिछले साल 22 सितम्बर को शाम को करीब छः बजे मेरी नाबालिग 16 वर्षीय लड़की पीड़िता घरेलू सामान लेने के लिए घर से बाहर गयी थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस घर नहीं आयी। हम लोगों ने काफी तलाश किया तो खोजबीन करने पर पता चला कि बरडाड़ का रहने वाला नागेन्द्र पुत्र सीताराम मेरी लड़की पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया। मेरी लड़की पीड़िता को भगाने में निखरकपार का शम्भूनाथ विश्वकर्मा ने सहयोग किया था। कई दिनों तक तलाश करने के बाद जब मेरी लड़की का कहीं पता नहीं चला, तब मैनें एक आदमी से दरखास लिखवाकर थाने पर दी थी। दरखास लिखने वाले ने दरखास पढ़कर सुनाया था,तब मैनें उस पर अपना अंगूठा लगाया था। दरखास शामिल पत्रावली 4क/3 है जिसके बिन्दु 'A' स्थान पर बने निशानी अंगूठा की मैं पुष्टि करती हूँ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरी लड़की कुछ दिन बाद मिली तो वह नागेन्द्र के प्रभाव में थी तथा काफी सहमी हुई थी, इसलिए उसने नागेन्द्र के सिखाने पढ़ाने व डराने पर बयान दिया था। बाद में मेरी लड़की पीड़िता ने मुझे बताया कि नागेन्द्र विश्वकर्मा मुझे बहला–फुसलाकर शादी का झांसा देकर सूरत ले गया था तथा वहॉ मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मेरी लड़की पीड़िता ने मुझे यह भी बताया कि नागेन्द्र उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। नागेन्द्र ने मेरी लड़की की जिन्दगी बरबाद कर दी है। नागेन्द्र के डर से अभी भी मेरी लड़की उबर नहीं पायी है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरी लड़की पीड़िता पढ़ी–लिखी है। ''

10. पी0डब्लू0–2 शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा (पीड़िता के पिता) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' घटना हुए लगभग 06 साल होने वाला है। घटना के समय मैं सूरत में रहकर लकड़ी का काम करता था। मेरी लड़की पीड़िता जो कि उस समय 16 वर्ष की थी, उसको नागेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी बरडाड, थाना–बखिरा, शम्भूनाथ विश्वकर्मा के सहयोग से बहका–फुसलाकर भगा ले गया। इस घटना की सूचना मेरी पत्नी माधुरी ने मुझे दिया था। सूचना पाकर मैं घर वापस आया। मेरी पत्नी माधुरी ने उक्त घटना के संबंध में थाना पर जाकर नागेन्द्र व शम्भूनाथ के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। ''

11. पी0डब्लू0–3 पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' मुल्जिम नागेन्द्र विश्वकर्मा मेरे दीदी के जेठ के लड़के हैं। रिस्तेदार होने के नाते मेरे घर आते जाते थे और मुझसे भी बात करते थे। घटना हुए लगभग 6. 1/2 साल हुआ। वह मेरे घर उस दिन आये थे और शाम को लगभग 6 बजे मुझसे कहे कि तुम्हारी दीदी आयी है, तुम्हारी दीदी तुम्हें बुलायी है। मैं सामान खरीदने के लिए दुकान पर गयी थी, वहीं पर नागेन्द्र विश्वकर्मा आये और मुझे मोटर साइकिल पर बैठाकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन ले गया। मैनें उससे कहा कि

मुझे घर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो उसने कहा कि यदि साथ नहीं जाओगी तो तुम्हें मार देंगे, फिर उसके बाद मुझे लेकर के सूरत गया। सूरत ट्रेन से गयी थी। सूरत में अपनी दीदी के यहॉ उसके क्वाटर पर उसकी दीदी ने बगल में उसे क्वाटर दिला दिया और उसी क्वाटर में दोनों लोग रहने लगे। वहॉ पर नागेन्द्र ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। यदि मैं मना करती तो जान से मारने की धमकी देता था। उसके दो दिन बाद जबरदस्ती मुझे जान से मारने की धमकी देकर मन्दिर में शादी किया था। मैं वहॉ करीब 20 दिन तक रही। इन 20 दिन में वह मेरे साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाता था। जब वह मुझसे शादी किया, उससे पहले से वह मेरे साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाया था। वह क्वाटर पर ही रहता था, किसी से बात नहीं करने देता था। जब उसके घर से दीदी के पास फोन गया कि उसके ऊपर मुकदमा हो गया है, तब वह मुझे लेकर खलीलाबाद आया और खलीलाबाद बाईपास पर हम दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर पुलिस थाना खलीलाबाद में लेकर आयी। महिला सिपाही ने मेरा बयान लिया था। महिला सिपाही को जो मैनें यह बयान दिया था कि '' नागेन्द्र के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाये'' यह बात मैनें नागेन्द्र के सिखाने पर दिया था। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। बयान धारा–164 द0प्र0सं0 पर लगे फोटो तथा उस फोटो के नीचे बने हस्ताक्षर को साक्षी को दिखाया गया जिसकी पुष्टि की। बयान 164 द0प्र0सं0 साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। साक्षी ने बताया कि हॉ, यह बयान मैनें मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। बयान में यह है कि मैं अपने मन से नागेन्द्र विश्वकर्मा के साथ सूरत चली गयी थी। नागेन्द्र ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया था। मैं नागेन्द्र के साथ रहना चाहती हूॅ, यह बयान मैं नागेन्द्र के सिखाने पर व उसके द्वारा धमकी देने पर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिया। पत्रावली सूची वह कागज संख्या–15क बयान 164 द0प्र0सं0 पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसे A बिन्दु से चिन्हित किया गया है, इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। ''

12. **पी0डब्लू0–4 डा0 निधि गुप्ता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक–16.10.2018 को मैं बतौर महिला चिकित्साधिकारी संयुक्त जिला चिकित्सालय,सन्त कबीर नगर में तैनात थी। उस दिन मेरे द्वारा पीड़िता पुत्री शैलेन्द्र शर्मा साकिन घमरजा, थाना कोतवाली, जनपद–सन्त कबीर नगर का मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसको महिला कान्सटेबल प्रीति राय द्वारा मेरे समक्ष पेश किया गया था। उस दिन समय करीब 1:30 पी0एम0 का था। पीड़िता ने अपने बाहय तथा अन्दरूनी जांच की सहमति दी थी।
पहचान चिन्ह–पीड़िता के मुंह से दाहिने तरफ दो सेमी. की दूरी पर काले तिल का निशान है। पीड़िता मेरे समक्ष अपने पूर्ण होशोहवास में आयी थी। पीड़िता की लम्बाई 150 सेमी., वजन 40 किग्रा., दांत 13/13, बाह्य परीक्षण–शरीर पर कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। LMP–03.10.2018, आन्तरिक परीक्षण–पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। पीड़िता का वैजाइनल स्लाइड बनाया गया और महिला आरक्षी को FSL जांच हेतु दिया गया। पीड़िता को उम्र निर्धारण के लिए रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा गया। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट शामिल मिसल कागज संख्या 4क/11 है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया जिसके A बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ, इस पर प्रदर्श क–3 डाला जाता है। पूरक परीक्षण रिपोर्ट, रेडियोलाजिस्ट रिपोर्ट व सी0एम0ओ0 बोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की

उम्र लगभग 19 वर्ष ऑकी गयी। पूरक परीक्षण रिपोर्ट शामिल मिसल कागज सं0–4क/11 है, जिसके B बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ, इस पर प्रदर्श क–4 डाला जाता है। **अभिमत**–पीड़िता के साथ लैंगिग हिंसा के बारे में कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दिया जा सकता। ''

13. **पी0डब्लू0–5 पूर्णमासी** (सेवानिवृत्त हे0का0) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक 04.10.2018 को मैं थाना खलीलाबाद में HCP के पद पर तैनात था। वादिनी माधुरी देवी पत्नी शैलेन्द्र साकिन घमरजा थाना खलीलाबाद, जनपद–स0क0नगर के लिखित प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0–1143/2018, धारा–363, 366 भा0द0सं0 व 16/17 पाक्सो एक्ट विरूद्ध नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सीताराम साकिन बरडाड पिपरी, थाना बखिरा,जनपद–स0क0 नगर व शम्भूनाथ विश्वकर्मा पुत्र राजदेव साकिन निखरकपार थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–संत कबीर नगर जी0डी0नं0–41 दिनांक–04.10.2018 समय 16:09 बजे कायम कर CCTNS पर बोल–बोलकर अंकित कराया, जिसका प्रिन्ट आउट निकलवाया, वह जी0डी0 शामिल पत्रावली जिसका कागज सं0–6क/11 है,जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला जाता है। चिक FIR, CCTNS पर बोल–बोलकर अंकित कराया जिसका प्रिन्ट आउट निकलवाकर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के हस्ताक्षर बनवाये। वह चिक FIR शामिल मिसल कागज संख्या–4क/1 ता 4क/2 है जिसके बिन्दु A पर बना हस्ताक्षर तत्कालीन थाना प्रभारी सुधीर कुमार के हैं,जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–6 डाला जाता है। ''

14. **पी0डब्लू0–6 वीरेन्द्र सिंह यादव** (उपनिरीक्षक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' मैं दिनांक–04.10.2018 को मेरी तैनाती कोतवाली खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर में उपनिरीक्षक के पद पर थी।वादिनी माधुरी देवी पत्नी शैलेन्द्र साकिन धमरजा थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–सन्तकबीरनगर द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र पर मु0अ0सं0–1143/2018, अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0द0सं0 एवं 16/17 पाक्सो एक्ट विरूद्ध नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा साकिन–बरडाड़ पिपरी, थाना बखिरा, सन्त कबीर नगर व शम्भूनाथ विश्वकर्मा पुत्र राजदेव साकिन निखरकपार,थाना–खलीलाबाद, संत कबीर नगर कायम होकर मुझ विवेचक को विवेचना प्राप्त हुई।–वादिनी मुकदमा व उनके रिश्तेदार शैलेष की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण, नक्शा–नजरी तैयार किया जो शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/4 है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है, जिसके A बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा बयान समई साक्षी का बयान अंकित किया।–नकल फर्द बरामदगी पीड़िता व गिरफ्तारी अभियुक्त फर्द बरामदगी पीड़िता मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जो शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/5 है, जिसके बिन्दु B पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया तथा बयान अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा का बयान अंकित किया गया तथा अवलोकन बयान पीड़िता धारा–161 द0प्र0सं0 किया गया।–बयान मजीद पीड़िता, बयान महिला आरक्षी रिजवाना परवीन का अंकित किया गया तथा पीड़िता का बयान धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के आधार पर धारा–376 भा0द0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा–16/17 पाक्सो एक्ट को विलोपित कर धारा–5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की

गयी।–तमामी विवेचना व बयान धारा–161 व 164 द0प्र0सं0, निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा निवासी बरडाड़ पिपरी थाना–बखिरा, जनपद–सन्त कबीर नगर के विरूद्ध धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। वह आरोप–पत्र शामिल मिसिल कागज सं0–3क/1 त 3क/3 है, जिसके बिन्दु C पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। ''

15. **पी0डब्लू0–7 इन्द्रकान्त चौधरी** (प्रधानाध्यापक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' आज मैं न्यायालय के आदेश पर SR रजिस्टर क्रमांक 787 से 1210 तक लेकर उपस्थित हूॅ। SR रजिस्टर के क्रमांक 841 पर छात्रा पीड़िता का विवरण दर्ज है जिसके अनुसार छात्रा के पिता का नाम शैलेन्द्र विश्वकर्मा व माता का नाम माधुरी देवी है। SR रजिस्टर पर छात्रा की जन्मतिथि 15.09.2002 दर्ज है। छात्रा का मेरे विद्यालय में प्रवेश दि0–18.08.2008 को कक्षा–एक में हुआ था एवं दिनांक–01.07.2012 को कक्षा पांच उत्तीर्ण होकर अन्यत्र चली गयी। आज मैं SR रजिस्टर की स्व प्रमाणित छाया प्रति मूल से मिलान कर दाखिल कर रहा हूॅ, जिसके बिन्दु A स्थान पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक छात्रा की जन्मतिथि प्रमाण पत्र के संबंध में विद्यालय में गए थे और पूर्व प्रधानाध्यापिका सुशीला सिंह के द्वारा छात्रा पीड़िता का जन्म प्रमाण–पत्र दिया गया, जो कि शामिल पत्रावली कागज संख्या–4क/07 है। प्रमाण पत्र पर प्रधानाध्यापिका सुशीला सिंह के हस्ताक्षर है। मैं उनके हस्ताक्षर एवं हस्तलेख से परिचित हूॅ जिसके बिन्दु B पर बने मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। ''

विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस :

16. अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क लड़की/पीड़िता को अवैध संभोग/शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर सूरत भगा ले गया और वहॉ पर पीड़िता के साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। अभियोजन साक्षीगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक व घटना का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अभियोजन का मामला युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होता है।

17. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 व पी0डब्ल0–3 हितबद्ध साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से कोई स्वतन्त्र साक्षी पेश नहीं है। साक्षीगण के बयानों में विरोधाभाष है। पीड़िता ने धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में अभियोजन कथानक एवं घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया गया है। पीड़िता के उम्र के बाबत काफी विरोधाभाष है। पीड़िता ने धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के बयान में अपनी **उम्र 19 वर्ष** बतायी है। रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भी पीड़िता की उम्र लगभग **19** वर्ष ऑकी गयी है।

इस तरह पीड़िता, घटना के समय पूर्ण रूप से बालिग थी। अभियुक्त के खिलाफ रंजिशन मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने कहीं कोई शोर या शिकायत नहीं किया। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

18. अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनका अभिलेख पर उपस्थित साक्षीगण के साक्ष्य का सूक्ष्मता व गहनता से परिशीलन किया गया।

19. विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि जब तक कि किसी अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सन्देह से परे कानून के अनुसार साबित न हो जाए, वह निर्दोष माना जाता है और इस सिद्धान्त के विरूद्ध अभी भी आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुआ है तथा विधि का यह भी सिद्धान्त है कि कोई निर्दोष को सजा न हो, लेकिन कोई दोषी छूटे ना। **स्टेट आफ उ0प्र0 बनाम रामबीर सिंह 2007 (6) S.C.C. 164** तथा **A.I.R. 2003 S.C. 2978 स्टेट आफ उ0प्र0 बनाम रामसेवक** के इन्हीं सुनहरे सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए यह देखना होगा कि परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित किया है या नहीं ?

20. प्रश्नगत मामला एक ऐसा अपराध है,जिसके बारे में विधायिका द्वारा विशेष विधायन बनाया गया है। सामान्य दण्ड विधिशास्त्र के अनुसार अभियोजन पक्ष को अपना मामला सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी भी दुर्बलता का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता तथा विचारण प्रारम्भ होने के साथ अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है, जबकि पाक्सो अधिनियम, 2012 सामान्य दण्डशास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है और पाक्सों अधिनियम की धारा–29 अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा करती है तथा धारा–30 पाक्सों अधिनियम अपराध की मनः स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करती है।

21. पाक्सों अधिनियम की धारा–29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा–जहॉ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा–3, धारा–5, धारा–7 और धारा–9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहॉ विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है,दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

22. **पाक्सों अधिनियम की धारा–30 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणाः–**

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्ति–युक्त सन्देह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता सम्भाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

धारा–29 से ही स्पष्ट है कि इसके अधीन उपधारणा अधिनियम 2012 की धारा–3, 5, 7 तथा 9 में परिभाषित अपराध,उनके दुष्प्रेरण और प्रयत्न के बारे में लागू होती है। शेष अपराधों के बारे में धारा–29 लागू नहीं होती है।

धारा–3 और धारा–5 में परिभाषित 'प्रवेशन लैंगिक हमला' और 'गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला' के अपराधों में अधिनियम 2012 की धारा–30 की उपधारणा लागू नहीं होगी क्योंकि अधिनियम की धारा–30 'आपराधिक मानसिक दशा' की उपस्थिति का प्रावधान करती है और धारा–30 के स्पष्टीकरण में आपराधिक मानसिक दशा के अन्तर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण होने का प्रावधान है, जबकि धारा–3 और 5 में परिभाषित 'प्रवेशन लैंगिक हमला' और 'गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला' के लिए किसी भी प्रकार की आपराधिक मानसिक दशा अर्थात आशय या ज्ञान या हेतुक या विश्वास करने के कारण होना आवश्यक नहीं है।

धारा–29 की उपधारणा लागू होने के लिए अभियोजन को प्राथमिक तथ्य स्थापित करने होते हैं,तभी धारा–29 लागू होती है। धारा–30 केवल आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करती है और इसके लिए भी प्राथमिक तथ्य अभियोजन को स्थापित करने होते हैं।

23. इस प्रकार न्यायालय पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने, अभियुक्त की मनःस्थिति की उपधारणा करने हेतु बाध्य है। अधिनियम के प्रावधान आज्ञापक है, किन्तु उसकी उपधारणा खण्डनीय है। अभियुक्त अपने स्वयं के साक्ष्य एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य से इस उपधारणा का खण्डन कर सकता है।

24. **नवीन डी0 बारिये बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018, सी0आर0एल0जे0 3393** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अधिनियम 2012 की धारा–29 में उपबन्धित उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध निरपेक्ष नहीं है,बल्कि खण्डनीय है। यह उपधारणा तब लागू होती है,जब अभियोजन प्रथमतः प्राथमिक तथ्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है।

25. **मिस–ईरा द्वारा डा0 मंजूलता बनाम स्टेट, एन0सी0टी0 दिल्ली, ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 3457,** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम 2012 की धारा–2(1)(डी) में परिभाषित बालक से तात्पर्य उसकी भौतिक आयु से है, न कि मानसिक आयु से है। 18 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति बालक की परिभाषा में आता है। आयु के निष्कर्ष के बाद आयु को अपराध के प्रमाणित करने के लिए दी गयी साक्ष्य पर विचार करना चाहिये।

न्यायालय के लिए आवश्यक है कि इन उपधारणाओं को लेते समय पहले अभियोजन के साक्ष्य पर विचार करें और यह देखें कि क्या अभियोजन ने प्राथमिक तथ्य स्थापित कर दिये हैं, उसके बाद निर्णय में उपधारणा का उल्लेख करते हुए उसे लेने के बारे में उल्लेख करें।

26. धारा–354(1)(ख) द0प्र0सं0, 1973 अब वर्तमान में धारा–393(1)(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर प्रकरण में साक्ष्य के बेहतर विश्लेषण निम्नलिखित निश्चायक बिन्दु अवधारित किये जाते है–

i. क्या घटना दिनॉक–22.09.2018 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत **''बालक''** की श्रेणी में आती है ?

ii. क्या दिनांक–22.09.2018 को अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा, वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता व्यपहरण किया ?

iii. क्या दिनांक–22.09.2018 को अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा, वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को अवैध संभोग/शादी करने के आशय से विवश कर व्यपहृत किया ?

iv. क्या अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया ?

v. क्या अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

निष्कर्ष व उसके आधारः–

27. अवधारणीय प्रश्न क्रमांक–1 की विवेचना एवं निष्कर्षः–

i. क्या घटना दिनॉक–22.09.2018 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ''बालक'' की श्रेणी में आती है ?

बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता घटना के समय पूर्ण रूप से बालिग थी। पीड़िता ने अपने बयान धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 में अपनी उम्र 19 वर्ष बतायी है तथा मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता की उम्र लगभग 19 वर्ष ऑकी गयी है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया। लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 एवं मुख्य परीक्षा बयान में वादिनी मुकदमा ने अपनी पुत्री/पीड़िता की उम्र 16 वर्ष बताया है। पी0डब्लू0–2 पीड़िता के पिता ने मुख्य परीक्षा बयान में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष बताया है। धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता ने अपनी उम्र 19 वर्ष बताया है। पी0डब्लू0–4 डा0 निधि गुप्ता ने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि रेडियोलाजिस्ट व सी0एम0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 19 वर्ष आंकी गयी है। पी0डब्लू0–7 प्रधानाचार्य इन्द्रकान्त चौधरी ने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि विद्यालय के SR रजिस्टर प्रदर्श क–10 के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 15.09.2002 है।

28. नये किशोर न्याय अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम) 2015 की धारा–94 के अनुसार पीड़िता की उम्र का निर्धारण किया जायेगा। पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विधि **Jarnail Singh V. State of Haryana 2013 Cri.L.J. 3976 S.(B) Penal Code (45 of 1860), S.376–Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Rules (56 of 2000), R–12–Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Act (56 of 2000), S.68–RAPE–JUVENILE OFFENDER–Rape–Age of prosecutrix–Determination–Manner provided under R. 12 of 2007 Rules ought to be followed– There is no difference as regards minority between child in conflict of law and child who is victim of crime.** अभिनिर्धारित की गई है।

29. धारा–94 **Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Act** के प्राविधान, आयु निर्धारण से संबंधित है। यदि किसी बालक या बालिका की आयु के बारे में सन्देह हो कि वह बालिग या नाबालिग है, या नहीं तो आयु का निर्धारण निम्न क्रम में किया जायेगा–

1. सबसे पहले जन्म प्रमाण–पत्र देखा जायेगा।
2. यदि जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्यालय का अंक प्रमाण–पत्र देखा जायेगा।
3. यदि उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तब मेडिकल आयु परीक्षण या उम्र के बाबत चिकित्सीय आख्या पर विचार किया जायेगा, अर्थात समान रूप से न्यायालय पहले शैक्षणिक प्रमाण–पत्र की विश्वसनीयता पर विचार करेगी। शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के अनुउपलब्धता या उसकी सत्यता पर सन्देह हो तो मेडिकल साक्ष्य, या अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है।

30. प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता के उम्र के बाबत विद्यालय के SR रजिस्टर प्रदर्श क–10 में पीड़िता की जन्मतिथि 15.09.2002 दर्ज है। इस तरह घटना दिनांक–22.09.2018 को अभियोक्त्री की आयु **16 वर्ष 00 माह 07 दिन** होती है, जिसे अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होकर वह **"बालक"** की श्रेणी में आती है। तद्नुसार **अवधारणीय प्रश्न क्रमांक–1** का निराकरण किया जाता है।

31. **अवधारणीय प्रश्न क्रमांक–ii, iii, iv व v की विवेचना एवं निष्कर्षः–**

ii. क्या दिनांक–22.09.2018 को अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा, वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता व्यपहरण किया ?

iii. क्या दिनांक–22.09.2018 को अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा, वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को अवैध संभोग/शादी करने के आशय से विवश कर व्यपहृत किया ?

iv. क्या अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया ?

v. क्या अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

उपरोक्त सभी प्रश्न एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण, एक साथ विवेचित किया जा रहा है जिससे साक्ष्यों के पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

32. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया गया कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। तथ्य के साक्षीगण पी0 डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 व पी0डब्ल0–3 हितबद्ध साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से कोई स्वतन्त्र साक्षी पेश नहीं है। साक्षीगण के बयानों में विरोधाभाष है। पीड़िता ने धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में अभियोजन कथानक एवं घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया गया है। पीड़िता के उम्र के बाबत काफी विरोधाभाष है। पीड़िता ने धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के बयान में अपनी **उम्र 19 वर्ष** बतायी है। रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भी पीड़िता की उम्र लगभग **19** वर्ष ऑकी गयी है। इस तरह पीड़िता, घटना के समय पूर्ण रूप से बालिग थी। अभियुक्त के खिलाफ रंजिशन मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने कहीं कोई शोर या शिकायत नहीं किया। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

33. अभियुक्त **नागेन्द्र विश्वकर्मा** के विरूद्ध धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप लगाया गया है । अतः **धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0** व **3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** के प्रावधान/परिभाषा का उल्लेख करना, न्यायसंगत होगा।

<u>धारा–363 भा0द0स0 की परिभाषाः</u>

363 व्यपहरण के लिए दण्ड–जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना–जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी, वह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जायेगी यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरूपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जायेगा।

बलात्संग के मामले में सम्मति के संदर्भ में भा0द0सं0 की **धारा–375** में ही स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, जो निम्नांकित है–

धारा–375 बलात्संग–जो पुरूष एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भॉति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरूष ''बलात्संग'' करता है, यह कहा जाता हैः–

पहला–उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा–उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को,जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

चौथा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरूष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है, कि वह ऐसा पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पॉचवां–उस स्त्री की सम्मति से,जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या मत्ता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठॉ–उस स्त्री के सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अठ्ठारह वर्ष से कम आयु की है।

3. प्रवेशन लैंगिक हमला–कोई व्यक्ति ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' करता है,यह कहा जाता है, यदि वह–

(क) अपना लिंग,किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

धारा–4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड–(1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि (दस वर्ष) से, कम की नही होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जायेगा।

उपरोक्त आरोपों के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया।

34. **पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा** (माधुरी देवी) ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–'' घटना पिछले साल 22 सितम्बर को शाम को करीब छः बजे मेरी नाबालिग 16 वर्षीय

लड़की पीड़िता घरेलू सामान लेने के लिए घर से बाहर गयी थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस घर नहीं आयी। हम लोगों ने काफी तलाश किया तो खोजबीन करने पर पता चला कि बरडाड़ का रहने वाला नागेन्द्र पुत्र सीताराम मेरी लड़की पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया। मेरी लड़की पीड़िता को भगाने में निखरकपार का शम्भूनाथ विश्वकर्मा ने सहयोग किया था। कई दिनों तक तलाश करने के बाद जब मेरी लड़की का कहीं पता नहीं चला, तब मैनें एक आदमी से दरखास लिखवाकर थाने पर दी थी। दरखास लिखने वाले ने दरखास पढ़कर सुनाया था,तब मैनें उस पर अपना अंगूठा लगाया था। दरखास शामिल पत्रावली 4क/3 है जिसके बिन्दु 'A' स्थान पर बने निशानी अंगूठा की मैं पुष्टि करती हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरी लड़की कुछ दिन बाद मिली तो वह नागेन्द्र के प्रभाव में थी तथा काफी सहमी हुई थी, इसलिए उसने नागेन्द्र के सिखाने पढ़ाने व डराने पर बयान दिया था। बाद में मेरी लड़की पीड़िता ने मुझे बताया कि नागेन्द्र विश्वकर्मा मुझे बहला–फुसलाकर शादी का झांसा देकर सूरत ले गया था तथा वहॉ मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मेरी लड़की पीड़िता ने मुझे यह भी बताया कि नागेन्द्र उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। नागेन्द्र ने मेरी लड़की की जिन्दगी बरबाद कर दी है। नागेन्द्र के डर से अभी भी मेरी लड़की उबर नहीं पायी है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरी लड़की पीड़िता पढ़ी–लिखी है। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा ने कथन किया है कि–'' घटना का तारीख व दिन नहीं पता है। पीड़िता कक्षा पांच तक पढ़ी है। पीड़िता जब कक्षा एक में प्रवेश ली थी तो उसकी उम्र क्या थी, मुझे नहीं याद है। जो दरखास मैनें कोतवाली में दिया था, वह प्रार्थना पत्र तहसील के वकील साहब तैयार किये थे। लड़की किस माह में गायब हुई थी, मुझे नहीं मालूम। मेरी लड़की दस दिन तक गायब थी। मेरी लड़की जब लौटकर आयी तो वह घर पर नहीं, महिला थाने पर आयी थी। महिला दरोगा मुझे बुलवायी थी। मैं थाने पर नहीं, मेरे पति गये थे। पीड़िता को मैं और मेरे पति घर लेकर आये। ''

न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर इस साक्षी ने कथन किया कि–'' नागेन्द्र मेरे सामने मेरी लड़की को भगा कर नहीं ले गया था। मेरी लड़की शाम के करीब 6 बजे शौच के लिए गयी थी, फिर लौटकर नहीं आयी थी। ''

पी0डब्लू0–1 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी वादिनी ने अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री को भगाते हुए स्वयं नहीं देखा। इस साक्षी ने लड़की/पीड़िता के घर से जाने व घटना के बाबत मुख्य परीक्षा में घटना पिछले साल 22 सितम्बर को शाम के 6 बजे की बतायी, जबकि प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि–**'' घटना का तारीख व दिन नहीं पता है। ''** आगे कथन किया कि–**'' लड़की किस माह में गायब हुई थी, मुझे नहीं मालूम। ''** घटना के बारे में जानकारी अपनी लड़की पीड़िता के बताने पर हुई। अतः उक्त साक्षी का बयान अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता है।

34. पी0डब्लू0–2 शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा (पीड़िता के पिता) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' घटना हुए लगभग 06 साल होने वाला है। घटना के समय मैं सूरत में रहकर लकड़ी का काम करता था। मेरी लड़की पीड़िता जो कि उस समय 16 वर्ष की थी,

उसको नागेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी बरडाड, थाना–बखिरा, शम्भूनाथ विश्वकर्मा के सहयोग से बहका–फुसलाकर भगा ले गया। इस घटना की सूचना मेरी पत्नी माधुरी ने मुझे दिया था। सूचना पाकर मैं घर वापस आया। मेरी पत्नी माधुरी ने उक्त घटना के संबंध में थाना पर जाकर नागेन्द्र व शम्भूनाथ के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–2 ने कथन किया है कि–'' तीसरे नम्बर पर लड़का खुनखुन है, उसकी उम्र 26–27 वर्ष होगी। चौथे नम्बर पर पीड़िता है, वह खुनखरुन से दो साल, तीन साल छोटी है। पीड़िता की शादी हो चुकी है। पीड़िता की जन्मतिथि मुझे याद नहीं है। घटना के समय घर पर नहीं था बल्कि सूरत में था। किस तारीख को मुझे घटना की सूचना मिली, मुझे याद नहीं है। घटना की तारीख याद नहीं है। सन् 18 की घटना है। मुझे फोन से मेरी औरत ने सूचना दी थी। ''

पी0डब्लू0–2 के उक्त बयानों के समग विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने भी अपनी पुत्री को अभियुक्त द्वारा भगा कर ले जाते हुए स्वयं नहीं देखा, बल्कि उसे घटना के बारे में जानकारी उसकी पत्नी वादिनी पी0डब्लू0–1 ने दिया। घटना के समय उक्त साक्षी घटनास्थल, अर्थात अपने (गांव) में नहीं था बल्कि वह उस समय सूरत में था। जानकारी के बाद घर आया। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी का बयान भी अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता है।

35. पी0डब्लू0–3 पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' मुल्जिम नागेन्द्र विश्वकर्मा मेरे दीदी के जेठ के लड़के हैं। रिस्तेदार होने के नाते मेरे घर आते जाते थे और मुझसे भी बात करते थे। घटना हुए लगभग 6. 1/2 साल हुआ। वह मेरे घर उस दिन आये थे और शाम को लगभग 6 बजे मुझसे कहे कि तुम्हारी दीदी आयी है, तुम्हारी दीदी तुम्हें बुलायी है। मैं सामान खरीदने के लिए दुकान पर गयी थी, वहीं पर नागेन्द्र विश्वकर्मा आये और मुझे मोटर साइकिल पर बैठाकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन ले गया। मैनें उससे कहा कि मुझे घर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो उसने कहा कि यदि साथ नहीं जाओगी तो तुम्हें मार देंगे, फिर उसके बाद मुझे लेकर के सूरत गया। सूरत ट्रेन से गयी थी। सूरत में अपनी दीदी के यहॉ उसके क्वाटर पर उसकी दीदी ने बगल में उसे क्वाटर दिला दिया और उसी क्वाटर में दोनों लोग रहने लगे। वहॉ पर नागेन्द्र ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। यदि मैं मना करती तो जान से मारने की धमकी देता था। उसके दो दिन बाद जबरदस्ती मुझे जान से मारने की धमकी देकर मन्दिर में शादी किया था। मैं वहॉ करीब 20 दिन तक रही। इन 20 दिन में वह मेरे साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाता था। जब वह मुझसे शादी किया, उससे पहले से वह मेरे साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाया था। वह क्वाटर पर ही रहता था, किसी से बात नहीं करने देता था। जब उसके घर से दीदी के पास फोन गया कि उसके ऊपर मुकदमा हो गया है, तब वह मुझे लेकर खलीलाबाद आया और खलीलाबाद बाईपास पर हम दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर पुलिस थाना खलीलाबाद में लेकर आयी। महिला सिपाही ने मेरा बयान लिया था। महिला सिपाही को जो मैनें यह बयान दिया था कि ''नागेन्द्र के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाये'' यह बात मैनें नागेन्द्र के सिखाने पर दिया था। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ था। बयान धारा–164 द0प्र0सं0 पर लगे फोटो तथा उस फोटो के नीचे बने हस्ताक्षर को साक्षी को

दिखाया गया जिसकी पुष्टि की। बयान 164 द0प्र0सं0 साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। साक्षी ने बताया कि हॉ, यह बयान मैनें मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। बयान में यह है कि मैं अपने मन से नागेन्द्र विश्वकर्मा के साथ सूरत चली गयी थी। नागेन्द्र ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया था। मैं नागेन्द्र के साथ रहना चाहती हूॅ, यह बयान मैं नागेन्द्र के सिखाने पर व उसके द्वारा धमकी देने पर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिया। पत्रावली सूची वह कागज संख्या–15क बयान 164 द0प्र0सं0 पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसे A बिन्दु से चिन्हित किया गया है, इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–3 पीड़िता ने कथन किया है कि–'' मैं कक्षा–8 तक पढ़ी हूॅ। मैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ी हूॅ। पूरी पढ़ाई उसी विद्यालय से की हूॅ। मेरा स्कूल में नाम लिखाने मेरी मम्मी गयी थी। जब स्कूल में नाम लिखाने गयी थी तो स्कूल में नाम लिखाते समय कोई कागज भी ले गयी थी। जिस दिन मैं अपने घर से गयी थी, वह तारीख मुझे याद नहीं है। जिस दुकान पर मैं सामान खरीदने गयी थी, वह दुकान मेरे घर से आधा मिली0 की दूरी पर है। मैं अकेले सामान खरीदने गयी थी। मैं सामान खरीदने 20 रूपया लेकर गयी थी। जिसकी दुकान पर सामान खरीदने गयी थी, उनका नाम नहीं पता, उस दुकान पर दुकान वाला अकेला था।– जब मैं महिला सिपाही को बयान दिया था, उस समय नागेन्द्र मेरे सामने था। महिला सिपाही ने मेरा बयान खलीलाबाद बाईपास पर लिया था। जब मेरा बयान महिला सिपाही ने लिया था, उस समय बयान लेते समय का वीडियो पुलिस ने मोबाइल से बनाया था। मजिस्ट्रेट साहब को जो बयान दी थी, वह अपनी मर्जी से दी थी। वह बयान मैं अपने माता पिता के सिखाने पर नहीं दी थी। जब नागेन्द्र विश्वकर्मा मुझे गाड़ी में बैठाया था, मैनें विरोध भी किया था तथा शोर भी किया था लेकिन कोई कोई था नहीं। वह मुझे दुकान पर ही गाड़ी पर बैठाया था। वहॉ कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। कोई बचाने नहीं आया। वहॉ जहॉ वह मुझे बैठाया था, वहॉ आस पास कोई मकान नहीं था। वह मुझे मोटर साइकिल पर बैठाया था। जिस मोटर साइकिल पर नागेन्द्र विश्वकर्मा मुझे बैठाया था, वह कोई दूसरा चला रहा था। जो मोटर साइकिल चला रहा था, उसको नहीं जानती।– सूरत पहॅुचने में तीन दिन लगा था। ट्रेन में भी मैनें एक लोग को शिकायत की थी, नागेन्द्र मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। ट्रेन में बैठे व्यक्ति ने भी मेरा कुछ मदद नहीं किया। मेरा डाक्टरी हुआ था। मेरा डाक्टरी सूरत से आने के दो दिन बाद हुआ था।– यह कहना गलत है कि न्यायालय में झूठा बयान देने के लिए मेरे माता–पिता ने मुझे डराया धमकाया है। यह कहना गलत है कि मैं नागेन्द्र के साथ सूरत नहीं गयी थी। यह कहना गलत है कि मैनें किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है, इसलिए नागेन्द्र के खिलाफ बयान कर रही हूॅ। ''

धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता ने कथन किया है कि–**'' मैं 1 महिना पहिले अपने घर पर बिना किसी को बताये नागेन्द्र विश्वकर्मा के साथ सूरत चली गयी थी। मैं अपने मन से गयी थी। नागेन्द्र ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया था। नागेन्द्र मेरे रिश्तेदारी में आते हैं। नागेन्द्र मेरे घर आते–जाते हैं, मैं उनको तीन साल से जानती हॅ। मैनें और नागेन्द्र ने शादी कर लिया है। मैं अब उन्हीं के साथ रहना चाहती हूॅ। मैं अपने घर नहीं जाना चाहती हूॅ। ''**

प्रकरण की सर्वोत्तम, महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षी पी0डब्लू0–3 पीड़िता के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पीड़िता को अभियुक्त द्वारा अपने साथ ले जाना स्पष्ट है। पीड़िता के बयान के अनुसार दुकान से ही अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया। पीड़िता के धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के बयान से भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अपने साथ पीड़िता को गोरखपुर तथा गोरखपुर से सूरत ले गया, वहॉ कमरे में अभियुक्त ने नाबलिग पीड़िता से शारीरिक सम्बन्ध बनाया है।

जहॉ तक बचाव पक्ष का यह तर्क कि पीड़िता सहमति से अभियुक्त के साथ गयी। इस संबंध में यह सामान्य सिद्धान्त है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के मामले में नाबालिग की सहमति का विधिक महत्व नहीं है।

उक्त साक्षी पीड़िता ने स्पष्ट बताया कि घटना वाले दिन वह अपने घर से 20 रूपया लेकर सामान खरीदने दुकान पर गयी थी, वहीं से अभियुक्त नागेन्द्र उसे (पीड़िता को) उसकी दीदी से मिलाने की बात कहकर बहला–फुसलाकर अपने मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने साथ गोरखपुर तथा वहॉ से सूरत ट्रेन द्वारा ले गया। पीड़िता ने बताया कि सूरत में एक क्वार्टर पर रखा तथा उसे धमका कर जबरन उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया। शारीरिक सम्बन्ध कई दिन बनाया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। ऐसी स्थिति में पीड़िता चूॅकि घटना के समय नाबालिग थी। एक नाबालिग पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा कारित किया गया उक्त आपराधिक कृत्य के संबंध में पीड़िता के बयान से घटना एवं अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

36. **पी0डब्लू0–4 डा0 निधि गुप्ता** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' दिनांक–16.10.2018 को मैं बतौर महिला चिकित्साधिकारी संयुक्त जिला चिकित्सालय,सन्त कबीर नगर में तैनात थी। उस दिन मेरे द्वारा पीड़िता पुत्री शैलेन्द्र शर्मा साकिन घमरजा, थाना कोतवाली,जनपद–सन्तकबीरनगर का मेडिकल परीक्षण किया गया,जिसको महिला कान्सटेबल प्रीति राय द्वारा मेरे समक्ष पेश किया गया था। उस दिन समय करीब 1:30 पी0एम0 का था। पीड़िता ने अपने बाह्य तथा अन्दरूनी जांच की सहमति दी थी।
पहचान चिन्ह–पीड़िता के मुंह से दाहिने तरफ दो सेमी. की दूरी पर काले तिल का निशान है। पीड़िता मेरे समक्ष अपने पूर्ण होशोहवास में आयी थी। पीड़िता की लम्बाई 150 सेमी., वजन 40 किग्रा., दांत 13/13, बाह्य परीक्षण–शरीर पर कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। LMP–03.10.2018, आन्तरिक परीक्षण–पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। पीड़िता का वैजाइनल स्लाइड बनाया गया और महिला आरक्षी को FSL जांच हेतु दिया गया। पीड़िता को उम्र निर्धारण के लिए रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा गया। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट शामिल मिसल कागज संख्या 4क/11 है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया जिसके A बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ, इस पर प्रदर्श क–3 डाला जाता है। पूरक परीक्षण रिपोर्ट, रेडियोलाजिस्ट रिपोर्ट व सी0एम0ओ0 बोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र लगभग 19 वर्ष ऑकी गयी। पूरक परीक्षण रिपोर्ट शामिल मिसल कागज सं0–4क/11 है, जिसके B बिन्दु पर बना हस्ताक्षर मेरा है जिसकी मैं पुष्टि करती हूॅ, इस पर प्रदर्श क–4 डाला जाता है। **अभिमत**–पीड़िता के साथ लैंगिग हिंसा के बारे में कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दिया जा सकता। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–4 चिकित्सक साक्षी ने कथन किया है कि–'' पीड़िता के बाह्य परीक्षण रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, यह सत्य हे। यह भी सत्य है कि मेडिकल परीक्षण में पीड़िता के अन्दरूनी शरीर/पार्ट पर कोई चोट का निशान नहीं था। योनि की झिल्ली पुरानी फटी हुई थी, कितनी पुरानी फटी हुई थी, इसके बारे में राय नहीं दी जा सकती। सप्लीमेण्ट्री रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र लगभग 19 वर्ष अंकित की गयी है। ''

पी0डब्लू0–4 चिकित्सक साक्षी के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने पीड़िता के शरीर के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान नहीं पाया जाना बताया, परन्तु झिल्ली पुरानी फटी हुई पायी गयी, जिससे पीड़िता के उक्त कथन की पुष्टि होती है कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है।

37. **पी0डब्लू0–5 पूर्णमासी** (सेवानिवृत्त हे0का0) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि– '' दिनांक– 04.10.2018 को मैं थाना खलीलाबाद में HCP के पद पर तैनात था। वादिनी माधुरी देवी पत्नी शैलेन्द्र साकिन घमरजा थाना खलीलाबाद, जनपद–स0क0नगर के लिखित प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0–1143/2018, धारा–363, 366 भा0द0सं0 व 16/17 पाक्सो एक्ट विरूद्ध नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सीताराम साकिन बरडाड पिपरी, थाना बखिरा,जनपद–स0क0 नगर व शम्भूनाथ विश्वकर्मा पुत्र राजदेव साकिन निखरकपार थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–स0क0नगर जी0डी0नं0–41 दिनांक–04.10.2018 समय 16:09 बजे कायम कर CCTNS पर बोल–बोलकर अंकित कराया, जिसका प्रिन्ट आउट निकलवाया, वह जी0डी0 शामिल पत्रावली जिसका कागज सं0–6क/11 है,जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला जाता है। चिक FIR, CCTNS पर बोल–बोलकर अंकित कराया जिसका प्रिन्ट आउट निकलवाकर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह के हस्ताक्षर बनवाये। वह चिक FIR शामिल मिसल कागज संख्या–4क/1 ता 4क/2 है जिसके बिन्दु A पर बना हस्ताक्षर तत्कालीन थाना प्रभारी सुधीर कुमार के हैं,जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ, इस पर प्रदर्श क–6 डाला जाता है। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–5 ने कथन किया है कि–'' वादिनी मुकदमा माधुरी तहरीर लेकर मेरे पास आयी थी। उसी तहरीर के आधार पर मैनें मुकदमा दर्ज कर लिया था। तहरीरी प्रार्थना पत्र पर मुकदमा FIR दर्ज करने के लिए लिखत आदेश मिला था। वादिनी मुकदमा ने समय 16:09 बजे तहरीर दिया तथा उसी समय 16:09 पर ही मैनें FIR दर्ज किया था। तहरीर पर FIR दर्ज करने का आदेश कोतवाल साहब सुधीर कुमार जी का है। ''

पी0डब्लू0–5 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षी ने वादिनी के तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर, FIR व जी0डी0 को अपने साक्ष्य से तस्दीक किया है।

38. **पी0डब्लू0–6 वीरेन्द्र सिंह यादव** (उपनिरीक्षक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है

कि–'' मैं दिनांक–04.10.2018 को मेरी तैनाती कोतवाली खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर में उपनिरीक्षक के पद पर थी।वादिनी माधुरी देवी पत्नी शैलेन्द्र साकिन धमरजा थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–सन्तकबीरनगर द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र पर मु0अ0सं0–1143/2018, अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0द0सं0 एवं 16/17 पाक्सो एक्ट विरूद्ध नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा साकिन–बरडाड़ पिपरी, थाना बखिरा, सन्त कबीर नगर व शम्भूनाथ विश्वकर्मा पुत्र राजदेव साकिन निखरकपार,थाना–खलीलाबाद, संत कबीर नगर कायम होकर मुझ विवेचक को विवेचना प्राप्त हुई।–वादिनी मुकदमा व उनके रिश्तेदार शैलेष की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण, नक्शा–नजरी तैयार किया जो शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/4 है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है, जिसके A बिन्दु पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया तथा बयान समई साक्षी का बयान अंकित किया।–नकल फर्द बरामदगी पीड़िता व गिरफ्तारी अभियुक्त फर्द बरामदगी पीड़िता मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जो शामिल पत्रावली कागज सं0–4क/5 है, जिसके बिन्दु B पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया तथा बयान अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा का बयान अंकित किया गया तथा अवलोकन बयान पीड़िता धारा–161 द0प्र0सं0 किया गया।–बयान मजीद पीड़िता, बयान महिला आरक्षी रिजवाना परवीन का अंकित किया गया तथा पीड़िता का बयान धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के आधार पर धारा–376 भा0द0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा–16/17 पाक्सो एक्ट को विलोपित कर धारा–5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।–तमामी विवेचना व बयान धारा–161 व 164 द0प्र0सं0, निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा निवासी बरडाड़ पिपरी थाना–बखिरा, जनपद–सन्त कबीर नगर के विरूद्ध धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। वह आरोप–पत्र शामिल मिसिल कागज सं0–3क/1 त 3क/3 है, जिसके बिन्दु C पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–6 विवेचक ने कथन किया है कि–'' वादिनी मुकदमा मुझसे FIR दर्ज होने के तत्काल मिली थी। वादिनी मुकदमा मुझे थाने पर नहीं मिली थी, बल्कि घर पर मिली थी। वादिनी मुकदमा के घर पर मैं दिनांक 04.10.18 को गया था। जब मैं वादिनी के घर घमरजा पहुंचा था, उस समय अंधेरा नहीं हुआ था। रहने के दौरान बाद में धीरे–धीरे अंधेरा हो गया था। घटनास्थल के मानचित्र में वादिनी द्वारा जिस दुकान पर सामान खरीदने की बात कही गयी है, उसका जिक्र किया गया है या नहीं, याद नहीं है। उस दुकानदार का बयान मैनें नहीं लिया। उस दुकानदार से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है।'' आगे यह भी कथन किया है कि–'' पीड़िता ने स्वेच्छा से बयान दिया था, भयभीत नहीं की गयी थी। पीड़िता का जन्मतिथि प्रमाण पत्र मैनें स्कूल से प्राप्त किया था।यह जिस विद्यालय से पास किया था, उसकी प्रधानाध्यापिका का बयान मैनें लिया था। मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी पता चला था कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या आन्तरिक चोट के निशान नहीं थे तथा लैंगिक हमले का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। बयान 164 द0प्र0सं0 का बयान जब मैं अवलोकन किया, उसमें भी पीड़िता ने अपनी उम्र 19 वर्ष बतायी थी। दौरान विवेचना मैनें पीड़िता का जन्म प्रमाण–पत्र प्राप्त किया था। यह जानकारी कि विद्यालय में जन्मतिथि

किस आधार पर लिखवाया गया है, नहीं पता किया था। वादिनी ने मुझे यह नहीं बताया था कि पीड़िता की जन्मतिथि विद्यालय में किस आधार पर लिखवाया गया था। ''

पी0डब्लू0–6 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी मामले का विवेचक है, जिसके द्वारा प्रकरण में विवेचना की गयी है। विवेचक द्वारा यद्यपि नक्शा–नजरी बनाया गया, परन्तु घटनास्थल दुकान की वास्तविक स्थिति तथा दुकान से किस तरफ पीड़िता को अभियुक्त द्वारा ले जाना बताया गया, उस मानचित्र में स्पष्टतः दर्शित नहीं किया गया है। जिस दुकान पर पीड़िता सामान खरीदने गयी, उस दुकानदार का इस साक्षी द्वारा कोई बयान नहीं लिया गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने बयान दिया है कि–**" घटनास्थल के मानचित्र में वादिनी द्वारा जिस दुकान पर सामान खरीदने की बात कही गयी है, उसका जिक्र किया गया है या नहीं, याद नहीं है। उस दुकानदार का बयान मैनें नहीं लिया। उस दुकानदार से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है। "** इस तरह विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा विवेचना सतही तौर पर किया गया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि विवेचना में त्रुटि है। घटना झूठी है। यद्यपि विवेचक ने घटनास्थल में दुकान को दर्शित नहीं किया, दुकानदार के बयान आदि नहीं लिये, तथापि यह विवेचक की त्रुटि है। यह सामान्य सिद्धान्त है कि विवेचना में हुए त्रुटि का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

इस सम्बन्ध में निर्णयज विधि–**हेमा बनाम राज्य 2013 (81) ए0सी0सी0 01 सुप्रीम कोर्ट** का उल्लेख करना उचित होगा कि इस न्याय–निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि–विवेचना में की गयी त्रुटि या कमी का लाभ अभियुक्त को नहीं प्राप्त हो सकता।

39. **पी0डब्लू0–7 इन्द्रकान्त चौधरी** (प्रधानाध्यापक) ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–'' आज मैं न्यायालय के आदेश पर SR रजिस्टर क्रमांक 787 से 1210 तक लेकर उपस्थित हूँ। SR रजिस्टर के क्रमांक 841 पर छात्रा पीड़िता का विवरण दर्ज है जिसके अनुसार छात्रा के पिता का नाम शैलेन्द्र विश्वकर्मा व माता का नाम माधुरी देवी है। SR रजिस्टर पर छात्रा की जन्मतिथि 15.09.2002 दर्ज है। छात्रा का मेरे विद्यालय में प्रवेश दि0–18.08.2008 को कक्षा–एक में हुआ था एवं दिनांक–01.07.2012 को कक्षा पांच उत्तीर्ण होकर अन्यत्र चली गयी। आज मैं SR रजिस्टर की स्व प्रमाणित छाया प्रति, मूल से मिलान कर दाखिल कर रहा हूँ, जिसके बिन्दु A स्थान पर मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक छात्रा की जन्मतिथि प्रमाण पत्र के संबंध में विद्यालय में गए थे और पूर्व प्रधानाध्यापिका सुशीला सिंह के द्वारा छात्रा पीड़िता का जन्म प्रमाण–पत्र दिया गया, जो कि शामिल पत्रावली कागज संख्या–4क/07 है। प्रमाण पत्र पर प्रधानाध्यापिका सुशीला सिंह के हस्ताक्षर है। मैं उनके हस्ताक्षर एवं हस्तलेख से परिचित हूँ जिसके बिन्दु B पर बने मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। ''

प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0–7 प्रधानाचार्य ने कथन किया है कि–'' जन्मतिथि प्रमाण–पत्र जो पत्रावली में संलग्न है, मेरे द्वारा नहीं, बल्कि प्रधानाध्यापिका सुशीला सिंह द्वारा दिया गया था। उस समय जब रीता कुमारी का दाखिला हुआ था, तब अभिभावक जो अंदाज से

जन्मतिथि बता देते थे, वही दर्ज होता था। इस समय दाखिला के समय छात्र छात्राओं का जन्मतिथि के संबंध में आधार कार्ड या जन्म प्रमाण–पत्र लिया जाता है। यह कहना गलत है कि मैं वादी मुकदमा के प्रभाव में आकर न्यायालय से सही बात नहीं बता रहा हूॅ। ''

पी0डब्लू0–7 के उक्त बयानों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने पीड़िता के उम्र के बाबत विद्यालय के SR रजिस्टर के क्रमांक 841 पर छात्रा पीड़िता के प्रवेश का विवरण तथा जन्मतिथि अंकित होना बताया है, जिसे SR रजिस्टर की मूल से मिलान कर, उसकी स्व. प्रमाणित प्रति को तस्दीक किया है। विवेचक को दिये गये जन्मतिथि प्रमाण–पत्र पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर को भी तस्दीक किया है। पी0डब्लू0–7 के जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जो पी0डब्लू0–7 के बयान को अविश्वसनीय बनाता हो।

40. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि FIR Delay है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

इस संबंध में पत्रावली पर तहरीर प्रदर्श क–1 एवं साक्षीगण के बयानों का अवलोकन किया गया। तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना 22.09.2018 की है, जबकि घटना की सूचना दिनांक–04.10.2018 को थाने पर दर्ज करायी गयी है। इस सम्बन्ध में स्वयं वादिनी ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में बताया है कि–'' घटना पिछले साल 22 सितम्बर को शाम को करीब छः बजे मेरी नाबालिग 16 वर्षीय लड़की पीड़िता घरेलू सामान लेने के लिए घर से बाहर गयी थी लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस घर नहीं आयी। हम लोगों ने काफी तलाश किया तो खोजबीन करने पर पता चला कि बरडाड़ का रहने वाला नागेन्द्र पुत्र सीताराम मेरी लड़की पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया। मेरी लड़की पीड़िता को भगाने में निखरकपार का शम्भूनाथ विश्वकर्मा ने सहयोग किया था। कई दिनों तक तलाश करने के बाद जब मेरी लड़की का कहीं पता नहीं चला, तब मैनें एक आदमी से दरखास लिखवाकर थाने पर दी थी। '' चूॅकि पीड़िता को भगाते समय वादिनी ने नहीं देखा था, जब काफी समय बीत जाने पर लड़की नहीं मिली तो वादिनी ने पीड़िता को कई जगह तलाश किया। काफी खोजबीन के बाद जब उसे अभियुक्त द्वारा भगाने की जानकारी हुई, तब उसने दूसरे से कहकर प्रार्थना–पत्र लिखवाकर थाने पर दिया। ऐसी स्थिति में यदि ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला द्वारा देर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखया तो इससे सम्पूर्ण घटना को झूठा नहीं माना जा सकता है।

इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कन्हैया लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2013 (5) एस0सी0सी0 पृष्ठ 625** में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने में हुए विलम्ब के प्रभाव पर विचार करते हुए यह अवधारित किया है कि यह सुस्थापित विधि है कि **मात्र एफ0 आई0 आर0 विलम्ब से दर्ज कराना अभियोजन कथानक के लिए स्वयमेव घातक नहीं है।**

इसी प्रकार का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राम दास व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 (57) ए0सी0सी0 पृष्ठ–471** में भी दिया है। बलात्कार के मामले में विलम्ब से एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के संबंध में न्यायालय को भिन्न दृष्टिकोण अपनाना

चाहिये। माननीय सर्वोच्च न्यायायल ने **हिमांचल प्रदेश बनाम प्रेम सिंह 2009 (1) ए0सी0सी0 पृष्ठ 420** में यह कहा है कि **लैंगिक अपराध से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी को अन्य अपराधों के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब के बराबर** (Equate) **नहीं माना जा सकता है।**

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त अभिमत एवं अभियोजन साक्षीगण द्वारा घटना के बाद विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में अपने बयान में दिये गये सम्यक् स्पष्टीकरण के कारण प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक को अमान्य नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी दशा में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

41. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना के समय पीड़िता बालिग थी। उम्र के बाबत साक्षीगण के बयान में काफी विरोधाभाष है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र 19 वर्ष पायी गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा–363 भा0द0सं0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध नहीं बनता है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया। वादिनी ने लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 तथा न्यायालय के समक्ष दिये गये मुख्य परीक्षा बयान में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष बताया है। पीड़िता ने धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के बयान में अपनी उम्र 19 वर्ष बताया है। रेडियोलाजिस्ट व सी0एम0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 19 वर्ष आंकी गयी है। SR रजिस्टर प्रदर्श क–10 के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 15.09.2002 है।

धारा–94 Juvenile Justic (Care and Protection of Children) Act के प्राविधान, आयु निर्धारण से संबंधित है। यदि किसी बालक या बालिका की आयु के बारे में सन्देह हो कि वह बालिग या नाबालिग है, या नहीं तो आयु का निर्धारण निम्न क्रम में किया जायेगा–

1. सबसे पहले जन्म प्रमाण–पत्र देखा जायेगा।
2. यदि जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्यालय का अंक प्रमाण–पत्र देखा जायेगा।
3. यदि उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तब मेडिकल आयु परीक्षण या उम्र के बाबत चिकित्सीय आख्या पर विचार किया जायेगा, अर्थात समान रूप से न्यायालय पहले शैक्षणिक प्रमाण–पत्र की विश्वसनीयता पर विचार करेगी। शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के अनुउपलब्धता या उसकी सत्यता पर सन्देह हो तो मेडिकल साक्ष्य, या अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है।

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक सं0–1 के निस्तारण में यह पाया गया है कि घटना दिनांक–22.09.2018 की है तथा विद्यालय के SR रजिस्टर प्रदर्श क–10 में पीड़िता की जन्मतिथि 15.09.2002 दर्ज है। इस तरह घटना 22.09.2018 को पीड़िता की उम्र **16 वर्ष 00 माह 07 दिन** पायी गयी है, जिसे अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि पाक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार अभियोक्त्री की

आयु 18 वर्ष से कम होकर वह **''बालक''** की श्रेणी में आती है। अतः यह स्पष्ट है कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी। अतः बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क निराधार पाया जाता है।

42. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतन्त्र साक्षी को पेश नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षीगण के रूप में पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा एवं पी0डब्लू0–2 शैलेन्द्र विश्वकर्मा (पीड़िता का पिता) तथा पी0डब्लू0–3 के रूप में स्वयं पीड़िता को परीक्षित कराया गया है। उक्त पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 तथ्य के महत्वपूर्ण साक्षी हैं। इसके अतिरिक्त पी0डब्लू0–4 डा0 निधि गुप्ता, पी0डब्लू0–5 पूर्णमासी हे0का0 चिक लेखक तथा पी0डब्लू0–6 विवेचक वीरेन्द सिंह यादव तथा पी0डब्लू0–7 प्रधानाध्यापक इन्द्रकान्त चौधरी को परीक्षित कराया गया है। चूॅकि प्रस्तुत मामला नाबालिग पीड़िता के साथ उसके व्यपहरण /अपहरण,बलात्कार एवं प्रवेशन लैंगिक हमला के आरोप से संबंधित है। प्रकरण के कथानक के अनुसार पीड़िता को भगाते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किये जाते समय भी किसी ने नहीं देखा। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षी का पेश न किया जाना, स्वाभाविक है।

इस संबंध में यह उल्लेख करना न्यायोचित होता कि–मौजूदा सामाजिक परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में एवं किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध गवाही देने से कतराता है, अर्थात किसी के विरूद्ध अभियोग लगाये जाने के बाबत बयान देने से डरते हैं क्योंकि इससे उनके आपसी सम्बन्ध खराब हो जाते हैं तथा दुश्मनी हो जाती है। प्रस्तुत मामले में चूॅकि पीड़िता एवं उसके घर वाले ही घटना के वास्तविकता को जानते व समझते हैं। उनके द्वारा घटना के बारे में स्पष्ट कथन किया गया है। वह सक्षम साक्षी हैं। अतः प्रस्तुत प्रकरण में किसी स्वतन्त्र साक्षी के न होने से अभियोजन कथानक दूषित नहीं हो जाता है। बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क निराधार पाया जाता है।

43. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता के भगाने के सम्बन्ध में विरोधाभाष बयान दिये गये है।

इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों व साक्षीगण के बयानों का सम्यक परिशीलन किया गया। प्रकरण की महत्वपूर्ण साक्षी वादिनी ने पीड़िता के बताने पर उसने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–**'' बाद में मेरी लड़की पीड़िता ने मुझे बताया कि नागेन्द्र विश्वकर्मा मुझे बहला–फुसलाकर शादी का झांसा देकर सूरत ले गया था। ''** जबकि पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि–**'' खलीलाबाद से गोरखपुर और गोरखपुर से ट्रेन द्वारा सूरत ले गया। ''** प्रकरण की घटना दिनांक–22.09.2018 की समय शाम के लगभग 06:00 बजे की है। पी0डब्लू0–1 वादिनी ने पीड़िता को अभियुक्त द्वारा भगा ले जाते समय देखा नहीं, बल्कि वादहू जब पीड़िता, वादिनी के पास आयी तो पीड़िता के बताने के अनुसार वादिनी ने अपने मुख्य परीक्षा में सूरत ले जाने की बात बतायी है। प्रकरण की सर्वोत्तम महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षी पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि अभियुक्त उसे

अपने मोटर साइकिल पर बैठाकर गोरखपुर ले गया और ट्रेन से सूरत ले गया। इस तरह पीड़िता ने उन–उन स्थान का जिक्र किया, जहॉ–जहॉ अभियुक्त उसे लेकर गया था। वादिनी पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 पीड़िता आदि साक्षीगण के बयान घटना के कई वर्ष बाद हुए हैं। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के तथा अनपढ़ हैं। अतः घटना के काफी दिनों बाद बयान होने से थोड़ा–बहुत विरोधाभाष आना, स्वाभाविक है।

महमूद एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 (2009) 1 पेज 763 एवं **कल्पेश कुमार बनाम स्टेट आफ गुजरात 2002 (45) ए0सी0सी0 पेज–161 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन का कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई विरोधाभाष एवं विसंगति न हो। यदि कोई विरोधाभाष एवं विसंगति मामले की जड़ तक प्रभावित करे और अपराध घटित होने में पूरी तरह शंका पैदा करे, तब तो ठीक है, अन्यथा ऐसे विरोधाभाष और विसंगति को ध्यान में नहीं रखना चाहिये। अतः उपरोक्त बयान एवं निर्णयज विधि में पारित विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क निराधार पाया जाता है।

44. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना त्रुटिपूर्ण है। नक्शा नजरी में घटनास्थल नहीं दिखाया गया है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र यथा तहरीर चिक FIR एवं केस–डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान एवं नक्शा–नजरी तथा आरोप पत्र का सम्यक परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराये जाने के पश्चात् पी0डब्लू0–6 वीरेन्द्र सिंह यादव ने विवेचना प्राप्त कर गवाहों के बयानों, वादिनी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया है जिसे प्रदर्श क–7 के रूप में तस्दीक किया है। तमामी विवेचना व बयान धारा–161 व 164 द0प्र0सं0, निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा के विरूद्ध धारा–363, 366, 387 भा0द0सं0 व 5/6 पाक्सों एक्ट में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है।

विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का नक्शा–नजरी बनाया जाना बताया है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा–नजरी कागज संख्या–4क/4 **प्रदर्श क–7** में उस स्थान, अर्थात दुकान को नहीं दर्शाया, जहॉ पीड़िता सामान खरीदने गयी थी तथा उसी दुकान से उसे अभियुक्त द्वारा अपने साथ ले जाना बताया है। इसके अतिरिक्त जिस दुकान से सामान खरीदने हेतु पीड़िता गयी, उस दुकान के मालिक अर्थात दुकानदार को न तो साक्षी बनाया और न ही उसका कोई बयान ही अंकित किया, जिससे पीड़िता को अभियुक्त द्वारा भगाया गया या नहीं, इस संबंध में वास्तविकता का पता चलता। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा सतहीं विवेचना की गयी है। यद्यपि विवेचक ने विवेचना में त्रुटि कारित किया है, तथापि विवेचक द्वारा किये गये त्रुटि के कारण सम्पूर्ण घटना को झूठा नहीं माना जा सकता।

इस सम्बन्ध में निर्णयज विधि–**हेमा बनाम राज्य 2013 (81) ए0सी0सी0 01 सुप्रीम कोर्ट** का उल्लेख करना उचित होगा कि इस न्याय–निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि–विवेचना में की गयी त्रुटि या कमी का लाभ अभियुक्त को नहीं प्राप्त हो सकता।

45. मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र विश्लेषणोपरान्त तथा निर्णयज विधि में पारित विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक–22.09.2018 को समय लगभग 06:00 बजे सायं बहद ग्राम–धमरजा, पोस्ट–उमरी कला, थाना–खलीलाबाद, जिला–सन्त कबीर नगर में अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा श्रीमती माधुरी देवी की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला–फुसलाकर अवैध संभोग/विवाह करने के आशय से उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण/व्यपहरण किये तथा पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। अभियोजन पक्ष, अवधारणीय प्रश्न क्रमांक संख्या–**ii, iii, iv** व **v** के संदर्भ में अन्तर्गत धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपित अपराध को साबित करने में सफल रहा है। तद्नुसार **अवधारणीय प्रश्न क्रमांक संख्या–ii, iii, iv,** व **v** का निराकरण किया जाता है।

46. उपरोक्त मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा निर्णयज विधियों में पारित विधिक सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये सर्वोत्तम महत्वपूर्ण साक्षी पीड़िता एवं वादिनी मुकदमा के बयान में घटना की वास्तविकता के बारे में बयान देते हुए घटना एवं अभियोजन कथानक को पुष्ट किया है। इस तरह अभियोजन पक्ष, अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0 एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा, अन्तर्गत धारा–363, 366, 376 भा0द0 सं0 एवं धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

47. अभियुक्त **नागेन्द्र विश्वकर्मा** को **विशेष सत्र परीक्षण संख्या–0741/2018,** मुकदमा अपराध संख्या–1143/2018, थाना–कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–संत कबीर नगर के मामले में आरोप अन्तर्गत **धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0** एवं **धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012** के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतदारों की जमानतनामें व बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त एवं अभियोजन पक्ष को दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली, वादहू लंच पेश हो।

दिनॉक–30.07.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
सन्त कबीर नगर।

<u>**दिनांक–30.07.2026**</u>
वादहू लंचः

दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्क सुने गये।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त गरीब है। घर का अकेला कमाने वाला है। दोषसिद्ध अभियुक्त को कम से कम सजा एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर व सामाजिक अपराध है। अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा व जुर्माने से दण्डित किया जाय।

उभय पक्ष की ओर से दिये गये तर्को के प्रकाश में प्रकरण का परिशीलन किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क लड़की/पीड़िता को बहला–फुसलाकर अवैध संभोग/विवाह करने के आशय से बहला फुसलाकर उसके माता पिता के विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण/व्यपहरण कर,पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। उक्त अपराध नाबालिग लड़की के साथ किया गया है जो एक सामाजिक व घृणित अपराध है। अतः अभियुक्त को प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता।

दोषसिद्ध **नागेन्द्र विश्वकर्मा** को **धारा–363, 366, 376 भा0द0सं0** तथा **धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012** के तहत दोषी ठहराया गया है।

पाक्सो अधिनियम, 2012 की धारा–42 प्रावधानित करती है कि दोषसिद्ध को उस दण्ड से दण्डित किया जाए जो इस अधिनियम के अधीन या भा0द0सं0 के अधीन मात्रा में **गुरूतर** है। प्रस्तुत मामला **वर्ष–2018** का है। तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा के विरूद्ध नाबालिग पीड़िता के साथ अयुक्त सम्भोग, बलात्संग करने का आरोप साबित पाया गया है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा कारित अपराध धारा–376 भा0द0सं0 से आच्छादित होता है।

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त का कृत्य भा0द0सं0 की धारा–376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–3/4, दोनों अपराधों के अन्तर्गत आरोप सिद्ध होता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–42 के अनुसार जब एक ही आपराधिक कृत्य दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय हो और

दोनों में दण्ड और जुर्माने का प्रावधान हो, तब अभियुक्त को अधिनियम के उस अपबन्ध के अधीन दण्डित किया जायेगा, जिसमें गुरूतर/अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान हो। प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक–22.09.2018 की है। इसके अनुसार तत्समय प्रवृत्त धारा–376 भा0द0सं0 के अन्तर्गत न्यूनतम **10 वर्ष** के कठोर कारावास, अथवा आजीवन कारावास तक और जुर्माने से भी दण्डनीय था जबकि तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–4 के अन्तर्गत न्यूनतम सजा **07 वर्ष** का कारावास अथवा आजीवन कारावास तक और जुर्माने से भी दण्डनीय था, निर्धारित थी। ऐसी स्थिति में धारा–42 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार भा0द0सं0 की धारा–**376** में दण्ड की मात्रा, पाक्सो अधिनियम की धारा–**3/4** में दण्ड की मात्रा से गुरूतर है। अतः भा0द0सं0, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 पर अधिभावी प्रभाव रखती है। अतः अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा को उक्त प्रकरण में धारा–**376 भा0द0सं0** के तहत दोषसिद्ध को दण्डित किया जाना उचित है।

दण्डादेश

दोषसिद्ध को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है :–

दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम	धारा	कारावास/ सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास
नागेन्द्र विश्वकर्मा	**धारा–363 भा0द0सं0**	**03 वर्ष (तीन वर्ष) सश्रम कारावास**	**2000/–रूपये (दो हजार रूपये)**	**03 माह साधारण कारावास**
	धारा–366 भा0द0सं0	**05 वर्ष (पॉच वर्ष) सश्रम कारावास**	**2000/–रूपये (दो हजार रूपये)**	**06 माह साधारण कारावास**
	धारा–376 भा0द0सं0	**10 वर्ष (दस वर्ष) सश्रम कारावास**	**6000/–रूपये (छः हजार रूपये)**	**01 वर्ष साधारण कारावास**

धारा–31 द0प्र0सं0 के तहत दोषसिद्ध की उपरोक्त सभी सजाएँ साथ–साथ चलेगी।

धारा–428 द0प्र0सं0 के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को इस मामले के कारावास की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर धारा–357 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि मु0 **10,000/–रू0** (दस हजार रूपये) पीड़िता/अभियोक्त्री को अपील अवधि पश्चात् बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जावें। अपील होने की दशा में, माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त नागेन्द्र विश्वकर्मा को सजायावी वारण्ट बनाकर, सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, सन्त कबीर नगर भेजा जावे।

धारा–363(1) द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय एवं दण्डादेश की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा निर्णय की एक प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, सन्त कबीर नगर को प्रेषित की जाए।

दिनॉक–30.07.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
सन्त कबीर नगर।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉक–30.07.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)
सन्त कबीर नगर।

Annexure as per judgment dated 15.12.2025 of Hon'ble SC in Cri. Appeal No. 2973/2023

Chart for Exhibited Documents–

Exhibit no–	Description of Exhibit	Proved by/Attested by
1.	तहरीर वादिनी मुकदमा	पी0डब्लू0–1
2.	पीड़िता का बयान धारा–164 द0प्र0सं0	पी0डब्लू0–3
3.	पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट	पी0डब्लू0–4
4.	पूरक परीक्षण रिपोर्ट	पी0डब्लू0–4
5.	कायमी जी0डी0	पी0डब्लू0–5
6.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्लू0–5
7.	नक्शा–नजरी घटनास्थल	पी0डब्लू0–6
8.	नक्शा–नजरी, बरामदगी पीड़िता	पी0डब्लू0–6
9.	आरोप–पत्र	पी0डब्लू0–6
10.	SR रजिस्टर की स्व0प्रमाणित प्रति	पी0डब्लू0–7
11.	पीड़िता का जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र	पी0डब्लू0–7

Chart for Witnesses Examined–

Prosecution Witness no	Name of Witness	Description
1.	माधुरी देवी	वादिनी मुकदमा/पीड़िता की माँ
2.	शैलेन्द्र कुमार विश्वकर्मा	पीड़िता का पिता
3.	पीड़िता	वादिनी की पुत्री
4.	डा0 निधि गुप्ता	महिला चिकित्सक
5.	पूर्णमासी	हेड कान्सटेबल/चिक लेखक
6.	वीरेन्द्र सिंह यादव	विवेचक/उपनिरीक्षक
7.	इन्द्रकान्त चौधरी	विद्यालय का प्रधानाध्यापक

Chart for Material Objects/Muddamals

Material Ob–jects	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
–	–	–

दिनॉक–30.07.2026

(कृष्ण कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.07.30 16:41:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court